भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 933

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022 (22 अग्रहायण, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

महिलाओं का दुर्व्यापार

†933 श्री प्रद्युत बोरदोलोईः
श्री विनसेंट एच. पालाः
श्री जगदम्बिका पालः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मेघालय में गुमशुदा महिलाओं के संबंध में दर्ज की गई शिकायतों और निपटाई गई इन शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने विशेषरूप से देश के सीमावर्ती जिलों की महिलाओं और लड़कियों के दुर्व्यापार को रोकने के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त राज्यों में पुनर्वास के लिए मौजूद आश्रय गृहों का ब्यौरा क्या है;

(ड़) जिन महिलाओं और लड़कियों का दुर्व्यापार किया गया है उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) क्या सरकार द्वारा विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में मानव दुर्व्यापार के मामलों का समाधान करने हेतु अंतर-राज्य समन्वय को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

लोक सभा अता. प्र. सं. 933 दिनांक 13.12.2022

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए अपराध संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2021 की है। पिछले पांच वर्षों के दौरान लापता सूचित की गई और पता लगाई गई महिलाओं (18 वर्ष से अधिक) का पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्यों सहित राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) और (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य-सूची के विषय हैं। अतः, मानव तस्करी के अपराध को रोकने और उससे निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

तथापि, गृह मंत्रालय (एमएचए) इस संबंध में विभिन्न पहलें करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है। गृह मंत्रालय ने मौजूदा मानव तस्करी रोधी इकाइयों (एएचटीयू) को सुदृढ़ करने तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों को कवर करते हुए नए एएचटीयू की स्थापना करने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को "निर्भया निधि" के तहत 98.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। एएचटीयू एकीकृत कार्यबल इकाइयाँ हैं, जिन्हें व्यक्तियों की तस्करी को रोकने और उससे निपटने तथा तस्करी के अपराध की जांच करने और अभियोजन चलाने का अधिदेश प्राप्त है। राज्यों और संघ राज्य प्रदेशों में कुल 768 एएचटीयू स्थापित किये गए है। मानव तस्करी के पीड़ितों को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों में एएचटीयू की स्थापना के लिए सीमा रक्षक बलों, नामत: सीमा सुरक्षा बल

(बीएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को अनुदान सहायता भी प्रदान की गई है। बीएसएफ और एसएसबी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में क्रमश: 15 और 5 एएचटीयू स्थापित किए हैं।

गृह मंत्रालय समय-समय पर 'न्यायिक वार्तालाप' और 'राज्य स्तरीय सम्मेलन' आयोजित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य न्यायिक और पुलिस अधिकारियों को जानकारी प्रदान करना और उन्हें मानव तस्करी से संबंधित कानूनों के नवीनतम प्रावधानों के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना भी है। गृह मंत्रालय मानव तस्करी के अपराध को रोकने और उससे निपटने के बारे में समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी भी जारी करता है। ये एडवाइजरी गृह मंत्रालय की वेबसाइट: https://www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि नए अनुमोदित "मिशन शक्ति" के तहत, तस्करी की रोकथाम के लिए 'कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लिए स्वाधारगृह' और 'उज्ज्वला गृह' का आपस में विलय कर दिया गया है और इसका नाम बदलकर 'शक्ति सदन' कर दिया गया है, जो कि एक एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है। पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश में आश्रय गृहों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	शक्ति सदनों की संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	0
2.	असम	19
3.	मणिपुर	22
4.	मेघालय	0
5.	मिजोरम	1
6.	नागालैंड	0
7.	सिक्किम	0
8.	त्रिपुरा	0
9.	उत्तर प्रदेश	0
10.	कुल	42

(च): गृह मंत्रालय ने क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर (क्राई-मैक) नामक एक राष्ट्रीय स्तर का संचार प्लेटफार्म लॉन्च किया है, जो पूरे देश में मानव तस्करी के मामलों सहित बड़े अपराधों संबंधी सूचना का सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस अधिकारियों के बीच त्वरित (रियल टाइम) आधार पर प्रसार करने और उसे साझा करने की सुविधा भी प्रदान करता है और इस प्रकार मानव तस्करी सहित विभिन्न अपराधों से संबंधित कार्य को देख रहे पुलिस अधिकारियों के बीच अंतर-राज्यीय समन्वय में सक्षम बनाता है।

गृह मंत्रालय समय-समय पर मानव तस्करी से संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नोडल अधिकारियों के साथ मिलकर भी काम करता है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मानव तस्करी के अपराध से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए आपस में प्रभावी अंतर-राज्यीय समन्वय हेतु तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई है।

*****

लोक सभा अता. प्र. सं. 933 दिनांक 13.12.2022

अनुलग्नक

वर्ष 2017-2021 के दौरान देश में लापता हुई और पता लगाई गई वयस्क महिलाओं (18 वर्ष से अधिक) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017		2018		2019		2020		2021	
		लापता	पता लगाई	लापता	पता लगाई	लापता	पता लगाई	लापता	पता लगाई	लापता	पता लगाई
1	आंध्र प्रदेश	5933	4462	5703	4419	6252	4679	7057	5193	8969	6732
2	अरुणाचल प्रदेश	112	50	67	65	11	11	1	1	1	1
3	असम	2453	1586	3762	2327	3910	2212	3791	3202	2915	2019
4	बिहार	2647	1032	3689	1994	4213	1749	4557	1770	5061	2306
5	छत्तीसगढ़	10894	4877	13457	6475	15484	6993	15497	6606	18135	7859
6	गोवा	481	244	461	204	530	233	481	240	460	210
7	गुजरात	10424	7304	11037	7249	12012	7570	11817	6833	13747	9499
8	हरियाणा	6433	3833	6778	4678	8043	5411	8083	5144	10345	6531
9	हिमाचल प्रदेश	1138	717	1341	781	1648	961	1557	920	1862	1282
10	झारखंड	444	230	410	143	534	208	532	227	554	256
11	कर्नाटक	11573	7308	12886	10260	12247	9225	11950	8935	12964	10083
12	केरल	5720	5346	7168	6760	8202	7783	5929	5535	5657	5323
13	मध्य प्रदेश	36603	15067	43723	16925	52119	22120	52357	22884	55704	25260
14	महाराष्ट्र	50877	25941	57923	30746	63167	34521	58735	37000	56498	37053
15	मणिपुर	131	100	153	132	201	165	128	102	94	61
16	मेघालय	136	60	172	114	195	132	133	90	105	77
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	40	40	26	20	16	9	17	11	16	14
19	ओडिशा	17449	15604	10163	2455	17134	2928	23506	3254	29582	12863
20	पंजाब	2986	780	3392	755	4073	669	4655	726	5410	917
21	राजस्थान	12471	7966	15128	9513	19009	11945	21037	11718	25247	14229
22	सिक्किम	225	206	79	63	127	92	119	84	147	93
23	तमिलनाडु	10219	7361	10218	6538	11636	7150	13878	8653	18015	11968
24	तेलंगाना	8360	6128	9404	7272	10744	9361	10917	8869	12834	11288
25	त्रिपुरा	933	751	1127	787	1439	1136	1177	853	1400	1179
26	उत्तर प्रदेश	6575	2122	8265	3207	8985	3994	8542	4015	9035	3545
27	उत्तराखंड	1265	457	1689	392	2169	625	2381	1425	2413	1480

28	पश्चिम बंगाल	52688	25488	52000	22643	54348	23408	51559	22694	50998	21497
	कुल (राज्य)	**259210**	**145060**	**280221**	**146917**	**318448**	**165290**	**320393**	**166984**	**348168**	**193625**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	78	31	109	48	123	41	105	30	111	36
30	चंडीगढ़	737	113	831	90	1071	170	1234	270	1364	407
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव +	109	71	146	86	177	93	133	75	148	95
32	दिल्ली	21090	7331	22920	12909	19498	7332	19685	6712	21871	6499
33	जम्मू और कश्मीर *	2110	864	2381	946	2738	1259	2701	1143	3178	1477
34	लद्दाख	-	-	-	-	0	0	22	5	22	4
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	94	89	125	114	113	93	149	107	196	155
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**24218**	**8499**	**26512**	**14193**	**23720**	**8988**	**24029**	**8342**	**26890**	**8673**
	कुल (अखिल भारत)	**283428**	**153559**	**306733**	**161110**	**342168**	**174278**	**344422**	**175326**	**375058**	**202298**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

नोट: '+' वर्ष 2017 से 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2017 से 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े।

*****